• बवाल...

स्पीकर के बयान पर तपा सदन

शिमला : हिमाचल विधानसभा में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पुराने बयान को लेकर बवाल मच गया। हमीरपुर के बड़सर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा, स्पीकर साहब आपने चुनाव के दौरान कहा था कि 6 विधायकों के सर कलम कर दिए गए हैं। 3 के आरी के नीचे है। क्या आप अपना बयान वापस लेंगे?

इस पर स्पीकर ने व्यवस्था देते हुए कहा, सदन में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और न देता हूं। सदन के बाहर उनका अधिकार क्षेत्र अलग है, जो कानून भी है। कानूनन दृष्टि से जो निर्णय उन्होंने दिए है। अदालत ने भी उन निर्णय को अप्रूव किया है। इसलिए ऐसा कोई विषय सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

स्पीकर के जवाब से असंतुष्ट विधायक सभी विधायक वल में आ गए और नारेबाजी करते रहे। इस बीच लगभग 15 मिनट तक सदन की कार्यवाही भी चलती रही। मगर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को लंच अवकाश तक स्थगित कर दिया।

लंच के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा लाए प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस चलाया था, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। अब इन्हें 2027 तक विपक्ष में बैठना है। सरकार जिस प्रकार की आर्थिक स्थितियों से गुजर रही है, उसमें सहयोग करें।

लंच के बाद विपक्ष काले बिले लगाकर सदन में आया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, नियम 318 के तहत सदन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का बिला लगाकर नहीं आ सकता।

स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा, स्पीकर के तौर पर उनका कार्यकाल निष्पक्ष रहा है। सदन का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है। उन्होंने सत्तापक्ष से ज्यादा समय विपक्ष के साथियों को दिया है। सदन में स्पीकर ने कहा, अब कोई मुझे सिखाना चाहे तो मेरी उम्र सीखने की नहीं है। सब की व्यक्तिगत तौर पर पहचान करता हूं।

लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में स्पीकर ने यह बयान दिया था। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी।

• नेरचौक कॉलज..

मीर बख्श ने मांगा 10 अरब का मुआवजा...

शिमला : हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के नेरचौक में बना लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज इन दिनों जमीनी विवाद के चलते सुर्खियों में है। जमीनी विवाद को लेकर प्रदेश सरकार और जमीन के मालिक मीर बख्श के बीच खींचतान चली हुई है। मीर बख्श का परिवार जमीन की इस लड़ाई को लगभग पिछले 70 सालों से लड़ रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में अपना फैसला मीर बख्श के हक में सुना चुके हैं।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साल 2009 में हिमाचल सरकार ने ईएसआई को एक रुपए लीज पर डेढ़ सौ बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए दी थी। यूपीए सरकार के समय ये प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और तब हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में थी। साल 2014 में छह मार्च को यूपीए सरकार के केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री आस्कर फर्नांडीज ने मंडी जिला के नेरचौक में ईएसआईसी यानी इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया। उस समय हिमाचल में वीरभद्र सिंह सीएम थे। उस समय ये मालूम नहीं था कि यही जमीन दस साल बाद एक हजार करोड़ रुपए के मुआवजे का कारण बनेगी।

ये कॉलेज आरंभ में ईएसआई मेडिकल कॉलेज नेरचौक के नाम से जाना जाता था। इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने साल 2017-18 में ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हिमाचल सरकार को इस शर्त के साथ सौंपा कि सरकार यहां एमबीबीएस की कक्षाएं बिठाएगी। केंद्र व राज्य के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से विशाल परिसर बनकर तैयार हुआ था। अब एक दशक बाद ये मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आ गया है।

आजादी के समय नेरचौक के इलाके में कई मुस्लिम परिवार रहते थे। ये परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए। भारत सरकार ने ये मान लिया था कि वर्ष 1947 में सुल्तान मोहम्मद भी परिवार सहित पाकिस्तान चले गए हैं। साल 1957 में सुल्तान मोहम्मद की 110 बीघा जमीन को इवेक्यूइ संपत्ति घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया गया, जबकि कुछ भूमि सरकार ने अपने पास रख ली। इस जमीन में से ही 8 बीघा सुल्तान मुहम्मद ने नीलामी में खुद ही खरीद ली थी। साल 1952-53 की जमाबंदी के कागजों के अनुसार ये जमीन सुल्तान मोहम्मद के पूर्वजों दीन मोहम्मद आदि की थी। ये जमीन भंगरोटू और नेरचौक इलाके में स्थित है।

सुल्तान मोहम्मद 1957 से ही अपनी 110 बीघा जमीन के लिए लड़ाई शुरू की थी। सुल्तान मोहम्मद ने दिल्ली में इवेक्यूइ प्रॉपर्टी अपीलेट अथॉरिटी जिसे कस्टोडियन कहा जाता था में अपील दाखिल की। उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। बार-बार मामले को लेकर सुल्तान मोहम्मद ने अपील की थी और अंतिम बार अपील साल 1967 में रिजेक्ट हो गई। 1983 को सुल्तान मोहम्मद का देहांत हो गया। उसके बाद साल 1992 से उनके बेटे मीर बख्श ने इस लड़ाई को जारी रखा। कई सालों की लड़ाई के बाद मीर बख्श 2002 में हाईकोर्ट में पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई. साल 2009 में हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने मीर बख्श के हक में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को उन्हें जमीन लौटाने के आदेश जारी किए थे।

हर पीएचसी में एंटी वेनम इंजेक्शन रखेंगे...

● संजू चौधरी/शिमला

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्पदंश के मामलों का समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर पीएचसी में एंटी वेनम इंजेक्शन रखे जाएंगे। 108 एंबुलेंस में भी यह उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत प्रधान और स्थानीय प्रशासन की ओर से वेरिफाई करने पर मुआवजा दिलाए जाने की व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने शाहपुर में चिकित्सकों की कमी का मामला भी उठाया। इसी पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया।

सुक्खू ने कहा कि दस साल पहले आईसीएमआर ने इस संबंध में अध्ययन किया था। खड्डों के साथ बरसात में सांप होते हैं। सांप बरसात में ही सबसे ज्यादा डसते हैं। पीएचसी स्तर पर इंजेक्शन रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी कहा कि केवल सिंह पठानिया ने यह विषय उठाया है। शांडिल ने कहा कि हर पीएचसी में एंटी वेनम उपलब्ध होना चाहिए। इसे सुनिश्चित किया जाएगा। 200 डॉक्टरों की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।

कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1965 के ऑपरेशन के दौरान कोबरा मेरे पास सारी रात सोया। उसने नुकसान नहीं किया। उसने नहीं काटा तो उसे नहीं मारा। उसे भगवान शिव की कृपा माना गया। विधायक केवल सिंह पठानिया ने चुटकी ली कि बजट सत्र में खड़पे सांप का अटैक हुआ था, वह कोबरे का नहीं था। अगर कोबरा डस जाए तो जान नहीं बचती है। खड़पे का डसा हुआ बच जाता है। मणिमहेश में भगवान शिव का आशीर्वाद हुआ। सांप, सपेरे, खड़पे और डीने का रोल हर संस्कृति में होता है। इस पर सदन में ठहाके लगे तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी पूछा - ये खड़पा कौन था? इस पर भी ठहाके लगे।

सुक्खू ने कहा कि दस साल पहले आईसीएमआर ने इस संबंध में अध्ययन किया था। खड्डों के साथ बरसात में सांप होते हैं। सांप बरसात में ही सबसे ज्यादा डसते हैं।

पीएचसी स्तर पर इंजेक्शन रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी कहा कि केवल सिंह पठानिया ने यह विषय उठाया है। शांडिल ने कहा कि हर पीएचसी में एंटी वेनम उपलब्ध होना चाहिए। इसे सुनिश्चित किया जाएगा...

सूखे पेड़ों पर पहला अधिकार पंचायत का : सुक्खू

शिमला : सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जंगलों में सूखे पेड़ों को हटाने की अनुमति देने की शक्ति वन मंडलाधिकारियों यानी डीएफओ को दी है। इस लकड़ी पर पहला अधिकार स्थानीय पंचायत का होगा। उसके बाद वन निगम निकालेगा। सुक्खू ने यह बात सदन में भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए दी। शौरी ने कहा कि 400 से ज्यादा हरे पेड़ काटे गए हैं। 16 अगस्त को यह मामला ध्यान में आया तो वह ग्रामीणों के साथ मौके पर गए। विभाग ने 10 पेड़ों की एफआईआर की है। कांग्रेस का नेता कुल्लू से ठेकेदार है, वही इसमें शामिल है। सुरेंद्र शौरी ने कहा कि वह गांव के अंदर देख रहे हैं कि साल्वेज के नाम पर कुल्लू में 25 टेंडर लगे हैं। सूखे पेड़ों के नाम पर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। मनरेगा के कामगारों की तीन बार जियो टैगिंग हो रही है। पेड़ों की नहीं हो रही है। हर पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए।

इस पर सुक्खू ने कहा कि 2022 में 836 सूखे पेड़ों के लिए 2023-25 के बीच गणना की गई। कटाई और परिवहन का काम वन निगम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मदन सूद को काम दिया गया। विधानसभा सदस्य ने प्रेस वार्ता की तो एक टीम मौके पर गई। वहां राई, तोष, हरसू आदि के पेड़ थे। टीम ने विधायक के दावे से अलग 16 पेड़ों को काटने की बात निकली। एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर ठेकेदार के खिलाफ 99 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वह मामले की गंभीरता समझते हैं। 400 पेड़ काटने की कोई वीडियोग्राफी नहीं है। अगर ऐसी कोई वीडियोग्राफी है तो उन्हें दी जाए। इसकी जांच चल रही है। 358 पेड़ नियमानुसार काटे गए हैं। 16 अवैध कटे हैं।

• कार्रवाई...

वनरक्षक निलंबित

बंजार के सुराग शिल्ह जंगल में देवदार के हरे पेड़ों के कटान मामले में वन विभाग सख्त हो गया है। वन विभाग ने कोताही बरतने पर वनरक्षक को निलंबित कर दिया है। वन विभाग की ओर से दो अन्य अधिकारियों डिप्टी रेंजर और रेंजर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मामला बंजार से हिमाचल की विधानसभा तक पहुंचने के बाद अब वन विभाग एक्शन में है। पिछले दिनों बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने सुराग शिल्ह जंगल में हरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला उठाया था। इसके बाद वन विभाग की ओर से जांच के लिए दो टीमों का गठन किया गया। जंगल का दायरा 7,000 बीघा में फैला होने के कारण अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए डीएफओ बंजार की ओर से कुछ और समय मांगा गया है। विभाग की प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि 16 हरे पेड़ों को काटा गया है।

• किशोरी की लाश...

शिमला। सुन्नी में कोल डैम के तहत दोघरी में एक और शव बरामद हुआ है। यह शव काफी क्षत-विक्षत हालात में मिला है। प्रथम दृष्टया में यह 14 से 15 साल की लड़की का बताया जा रहा है। शव को कब्जे में ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि समेज त्रासदी में लापता हुए 36 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन के तहत अभी तक कुल 21 शव मिल चुके हैं। पुलिस की अगवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है।